।। जय श्री गणेशाय नमः।। ।। जय लोधेश्वराय नमः।। ।। रानी अवंती बाई की जय।।

# लोध क्षत्रिय सदर पंचायत

रजि.नं. 2502/1987

धूलपेट, भाग्यनगर, तेलंगाना.

नियम 26-6-2023 से लागू होंगे

## -: सामाजिक नियमों की सूचना :-

लोध क्षत्रिय सदर पंचायत द्वारा समाज की उन्नती के प्रति गंभीर होते हुए शादी–विवाह, सामाजिक कार्यों में फिजुल खर्ची रोकने के लिये सर्वसम्मति से निम्नलिखित नियम बनाए गये हैं। इन नियमों को बनाने से पहले पंचायत द्वारा आम सभा आमंत्रित करते हुए मंत्रीमंडल के सदस्यों, पंच सदस्यों, समाज की महिला शक्ति, वरिष्ठ सदस्यों के साथ गहन चिंतन किया गया। समाज के हित में बनाये गये इन नियमों का पालन लोध जाति के प्रत्येक सदस्य का प्रथम कर्तव्य हैं।

## लडका–लडकी को देखने की रीति, परम्परा

विवाह के पवित्र बंधन में बंधने से पहले लडका–लडकी देखने की रीति अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या पंच कमेटी, मंदिर में की जा सकती हैं।

इसमें लडकी–लडके को 1 जोडी कपडे, 2100 रुपयों तक नगदी रख सकते हैं। इस कार्यक्रम में केवल घर के लोग सीमित संख्या में ही शामिल हो सकते हैं।

लडका–लडकी देखने की रस्म में दोनों परिवार आपस में पैसा मिलाकर खर्च करना पडेगा। इस रस्म में वरमाला की अनुमति नहीं है। कार्यक्रम में किसी भी तरह का सोने का आभूषण डालना भी प्रतिबंधित है।

## मिलने की परम्परा

मिलने कार्यक्रम में साड़ियों की संख्या 1 से 51 तक सीमित है। दूल्हन को 5 जोडी कपड़े, दूल्हें की माँ के लिये सिर्फ 1 ही जोड़ा ले जाने की अनुमति हैं। दुल्हन को दुल्हे वाले यथाशक्ति स्वर्ण आभूषण पहना सकते है। वहीं, दुल्हन वालों की ओर से दुल्हा पक्ष के किसी भी रिश्तेदार को कोई भी आभूषण पहनाने की मनाही हैं। मिलना के कार्यक्रम में लड़के (युवक) को ले जाना सख्त मना है।

मिलने कार्यक्रम में सिर्फ दो बंडियों में ही दूल्हन के कपडे, श्रृंगार का सामान, 11 किलो मिठाई, 5 किलो खारा आदि ले जा सकते हैं। मिलन कार्यक्रम पुरानी रीति से ही जारी रहेगा। इसमें केवल लोध जाति के सदस्य ही शामिल हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में गैर–हिन्दू वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मिलन कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से पहले दुल्हन पक्ष की ओर पहुँच जाना चाहिए।

## महिलाओं के नाचने पर कडा प्रतिबंध

लोध जाति अपने स्वाभिमान के लिये जानी जाती हैं। लोध जाति की महिलाओं, युवतियों का किसी भी कार्यक्रम में सडकों पर नाचना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। संबंधित शिकायते मिलने पर उनके परिवार के पुरुषों को भवन बुलाकर स्पष्टिकरण पूछा जाएगा।

## मिलना कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था

मिलने के कार्यक्रम में केवल शाकाहरी भोजन परोसने की अनुमति रहेगी। वर पक्ष को शाकाहारी भोजन का डेग भेजा जा सकता है।

1. सादा चावल (शाकाहारी बिरयानी या जीरा चावल)
2. एक प्रकार का नमकीन
3. एक प्रकार की मिठाई
4. एक प्रकार की सब्जी
5. दही की चटनी
6. पुरी या रुमालि रोटी

दुल्हन वाले–दुल्हे वालों को किसी भी प्रकार के कपडे आदि नहीं पहना सकते हैं। दुल्हे को कपडो के लिये अधिकत्तम 5001 रुपये दिए जा सकते हैं।

### अपनो से अपनी बात

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व भर में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। हमारा हैदराबाद, भाग्यनगर भी दुनियां में तेज़ी से प्रगति करने वाले शहरों में शुमार है। हैदराबाद जैसे ग्लोबल हब में रहने के बावजूद हमारे समाज के सदस्य लगातार आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे है। जिसका मुख्य कारण विशेषकर विवाह कार्यक्रमों में लगातार बढ़ रही फिजूल खर्ची है। समाज के नागरिक आर्थिक रूप से मज़बूत रहेंगे तो समाज आर्थिक रूप से मज़बूत होगा। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आपकी लोध क्षत्रिय सदर पंचायत द्वारा समाजहित में नियम बनाएं गए हैं। सदर पंचायत समाज के सभी सदस्यों से विन्नति करती हैं कि आप समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें।

नोट : नियम तोड़ने वालों की सूचना देने वालों की जानकारी सदर पंचायत द्वारा गुप्त रखी जाएगी।

रिश्तेदारी होने के बाद कुँआरा नाता में केवल दुल्हा–दुल्हन के निकटत्तम रिश्तेदारों को ही कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति रहेगी। रिश्तेदारी होने के बाद जन्मदिन, नववर्ष, संक्रांति आदि पर्वों पर उपहार, केक भेजने की मनाही रहेगी। दिवाली–होली पर गम्पा भेजने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। दहलीज में प्रवेश(देहरी कुंदलाई), कागज आदि कार्यक्रमों में केवल बेटी–दामाद ही शामिल हो सकेंगे, जिन्हें यथाशक्ति भोजन करवाया जा सकता है। हल्दी–चोटी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। इन कार्यक्रमों में कपडे खरीदने के लिये 2 से 3 लोग जाकर अधिकत्तम 21 हजार रुपयों तक खरीददारी कर सकते हैं।

## फलदान

फलदान में आधा तोले सोने का कडा ले जाया जा सकता है। थाली में कोई बदलाव नहीं हैं। फलदान में अधिकत्तम 5001 रुपयों तक रखे जा सकते हैं। जबकि अन्य कार्यक्रम पुरानी परम्परा अनुसार ही किये जा सकते है।

हल्दी खेलने की रीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## बारात

बारात पुरानी प्रथा अनुसार निकाली जा सकती है। बारात में टिम्कियों (मरफा) को बंद किया गया है। बारात को रात्रि 11 बजे के भीतर वधू पक्ष के पास पहुँचा देना चाहिए। बारात कार्यक्रम में स्त्रियों,युवतियों का सड़को पर नाचना सख्त मना हैं।

## सजन भेंट

समधी को एक अंगुठी और एक शाल से स्वागत कर सकते हैं। दुल्हे के रिश्तेदारों को कोई भी सोने का आभूषण, शाल नहीं पहनाया जा सकता। द्वारे के चार में दुल्हे को जंजीर, ब्रेसलेट, घड़ी, 2 से 5 तोला सोना पहना सकते है। दुल्हे वाले दुल्हन वालों को शाल नहीं पहनाना चाहिए। विवाह में वर को दोपहिया वाहन दी जा सकती है, चौपहिया वाहन (कार) की अनुमति नहीं हैं।

## चुनरी उडवाई

जेठजी को चुनरी उडवाई में पैसे या अंगुठी दे सकते हैं। जनवासे में ऑकेस्ट्रा व नाचने वालियों को रखने की मनाही हैं।

## पाँव–पूँजी

दुल्हन को 1 ग्राम से लेकर यथाशक्ति सोने–चाँदी के आभूषण दिये जा सकते है। प्रॉपर्टी–पैसा भी भेंट किया जा सकता है।

## बिदागी

बिदागी की रीति में यथाशक्ति भोजन करवाया जा सकता है। बिदागी में केवल समधन को ही साडी, 1 अंगुठी पहनाने की अनुमति रहेगी। बिदागी दूसरे दिन होने पर सुबह 11 से रात 11 बजे के भीतर अपने दुल्हन को नव घर (ससुराल) ले जाना चाहिए। बिदागी में 1 से 11 तक ही साड़ियाँ दी जा सकती है।

## चौथी की रीति

चौथी की रीति में समधी–समधन का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। चौथी की रीति में दुल्हा पक्ष को डेग भेजने की मनाही रहेगी। जुता–चुराई में 11 हजार रुपयों तक अधिकत्तम पैसे दिये जा सकते हैं। चौथी में अन्य समाज के दोस्तों को लाना सख्त मना है।

## प्रीतिभोज

प्रीतिभोज कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें आरकेस्ट्रा की अनुमति है, लेकिन नाचने वाली महिलाएँ (डांसर्स) रखना मना हैं।

## दंड विधान

नियम तोड़ने पर नियम तोड़ने वाले को सदर पंचायत से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी और 2 लाख रूपये आर्थिक जुर्माना देना होगा।


**संचालक**
एम. महेश सिंह एडवोकेट
(B.Com.L.L.B)

**महामंत्री**
राजेश सिंह
(M.A.L.L.B)

**कोषाध्यक्ष**
योगेश सिंह


**सबका साथ समाज का विकास**

**संपर्क: 93910 19754**


**उपसंचालक :** देवेंद्र सिंह (पहलवान), बलदेव सिंह (पहलवान) N.I.S COACH, D. शैलेंद्र सिंह , D. युद्धवीर सिंह (B.A)

**मंत्री :** शैलेंद्र सिंह ( MBA), H. शिवकुमार सिंह , राजा सिंह, D. अंगद सिंह (B.Tech)